



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट  
भाग-4, खण्ड (ख)  
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, सोमवार, 11 मई, 2020

बैशाख 21, 1942 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

राज्य कर अनुभाग-2

संख्या 438/ग्यारह-2-9(47)-17-उ०प्र०अधि०-1-2017-आदेश(112)-2020

लखनऊ, 11 मई, 2020

अधिसूचना

प०आ०-114

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2017) की धारा 25 की उपधारा (6ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल, परिषद की सिफारिशों के पर, एतद्वारा इस अधिसूचना के प्रवृत्त होने की तारीख को ऐसी तारीख के रूप में अधिसूचित करती हैं, जिससे-

- (क) सभी प्रकार के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता;
- (ख) किसी भागीदारी फर्म के प्रबंधकीय और प्राधिकृत भागीदार; और
- (ग) किसी हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब का कर्ता,

उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर के अधीन, रजिस्ट्रीकरण का पात्र होने के लिए उत्तर प्रदेश माल और सेवाकर नियमावली, 2017 (जिसे आगे उक्त नियमावली कहा गया है) के नियम 8 में यथाविनिर्दिष्ट आधार संख्या होने का अधिप्रमाणन करवाएगा:

परन्तु यदि उक्त व्यक्तियों को आधार संख्या नहीं दिया गया है तो वह उक्त नियमावली के नियम 9 में विनिर्दिष्ट रीति में पहचान का कोई वैकल्पिक और दृष्टव्य साधन देगा।

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

आज्ञा से,

आलोक सिन्हा,

अपर मुख्य सचिव।

In pursuance of the provision of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Government notification no. 438/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(112)-2020, dated May 11, 2020 .

No. 438/XI-2-9(47)-17-U.P. Act-1-2017-Order(112)-2020

*Dated Lucknow, May 11, 2020*

In exercise of the powers conferred by sub-section (6C) of section 25 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (U.P. Act no. 1 of 2017), the Governor, on the recommendations of the Council, hereby notifies the date of coming into force of this notification as the date, from which the-

- (a) authorised signatory of all types;
- (b) Managing and authorised partners of a partnership firm; and
- (c) Karta of an Hindu undivided family,

Shall undergo authentication of possession of Aadhaar number, as specified in rule 8 of the Uttar Pradesh Goods and Services Tax Rules, 2017 (hereinafter referred to as the said rules), in order to be eligible for registration under GST:

Provided that if Aadhaar number is not assigned to the said persons, they shall be offered alternate and viable means of identification in the manner specified in rule 9 of the said rules.

2. This notification shall be deemed to have coming into effect with effect from the 1st day of April, 2020.

By order,  
ALOK SINHA,  
*Apar Mukhya Sachiv.*